HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 1947/2026

1. Shri Balaji Build Sky Pvt. Ltd., Opposite Hotel Pathik Midway, Pindvada, District Sirohi- 307022, Raj.
2. Ketan Bhai Pindvada, Firm Swami Malik, Sh. Balaji Build Sky Pvt. Ltd., Opposite Hotel Pathik Midway, Pindvada, District Sirohi- 307022, Raj.

----Petitioners

Versus

G.l. Choudhary Son Of Bhanwar Lal Choudhary, Proprietor,firm Nirman Infra Steel Pvt. Limited, 412, Royal World, Opposite City Center, Sansar Chandra Road, Jaipur - 302001, Raj.

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Sandeep Bhagwati, Adv.
For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS
Judgment / Order

22/04/2026

याची–अभियुक्त की ओर से यह याचिका धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.01.2026 से व्यथित होकर पेश की है, जिस पर याची पक्ष को इसी स्टेज पर सुना गया, अभिलेख का अवलोकन किया।

अभियुक्त के विरूद्ध विद्वान विचारण न्यायालय में धारा 138 एनआईएक्ट के आरोप में मामला लंबित है, परिवादी बतौर साक्षी उपस्थित हुआ किन्तु अभियुक्त द्वारा दिनांक 17.08.2023, 30.09.2023, 02.11.2023 तथा 14.03.2024 को प्रतिपरीक्षा हेतु बार–बार अवसर लिया गया, अन्ततः विचारण न्यायालय द्वारा एक हजार रूपये की कोस्ट पर प्रतिपरीक्षा हेतु अभियुक्त को एक अवसर और देते हुए दिनांक 06.05.2024 तारीख पेशी नियत की गयी, उस रोज भी अभियुक्त की ओर से उपस्थित परिवादी से जिरह नहीं की गयी और ना ही कोस्ट अदा की गयी।

उपरोक्त परिस्थितियों में यद्यपि यह स्पष्ट है कि अभियुक्त को परिवादी से जिरह हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये हैं तथा उसके पश्चात उचित आधार

होने से धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता का आवेदन खारिज किया गया है, लेकिन फिर भी प्रकरण की परिस्थितियों व उदारता का रूख अपनाते हुए कोस्ट पर अभियुक्त को परिवादी से जिरह का अवसर दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

तदनुसार यह याचिका स्वीकार करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 22.01.2026 अपास्त किया जाता है तथा याची–अभियुक्त को परिवादी से 40,000/– रूपये की कोस्ट पर जिरह का एक अवसर प्रदान किया जाता है।

चूंकि उपरोक्त आचरण से न केवल परिवादी बल्कि न्यायालय की प्रक्रिया का अपव्यय होता है, अतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त कोस्ट राशि में से 30,000/– रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरण में आगामी पेशी पर परिवादी को सुपुर्दकरने हेतु विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे तथा नियत तारीख पेशी से पूर्व शेष 10,000/– रूपये की राशि संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष जमा कराते हुए रसीद विचारण न्यायालय में प्रस्तुत की जावे।

विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त शर्तों की पालना होने पर अभियुक्त को परिवादी से जिरह हेतु एक अवसर प्रदान किये जाने का आदेश दिया जाता है।

चूंकि यह आदेश अयाची–परिवादी को नोटिस जारी किये बिना पारित किया गया है, अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि परिवादी इस आदेश से सहमत नहीं हो तो इस आदेश को रिकॉल कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होगा।

इसी अनुसार यह याचिका निस्तारित की जाती है।

(UMA SHANKER VYAS),J

Mittal /36